प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी0 एण्ड एजी0) के महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना (मनरेगा योजना) से संबंधित वर्ष 2007–12 के स्टेन्ड एलोन प्रतिवेदन जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम सम्मिलित है, बिहार के राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 151(2) के तहत समर्पित करने हेतू तैयार किया गया है।

भारत सरकार के आग्रह पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना का अंकेक्षण कार्य किया गया। तदनुसार, ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार एवं 319 अंकेक्षण योग्य इकाई/क्रियान्वयन निकायों के लेखाओं का नमूना जांच द्वारा निष्पादन लेखा परीक्षा किया गया।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना दिसम्बर 2005 में प्रांरभ किया गया जो एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण परिवारों के जीविका में सुधार हेतु 100 दिनों का निश्चित रोजगार उपलब्ध कराना है।

अंकेक्षण कार्य, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्धारा जारी लेखा परीक्षण मानक जो अंतराष्ट्रीय संगठन सुप्रीम अंकेक्षण संस्था द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानक पर आधारित है, के अनुरूप संचालित किया गया।

अंकेक्षण के प्रत्येक स्तर पर उपलब्धियों को लेखापरिक्षित इकाई के साथ विचार किया गया। ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 28.09.2012 को प्रतिवेदन समर्पित किया गया। विभाग का आंशिक जवाब दिनाक 18.10.2012 को प्राप्त हुआ। आगे, दिनांक 2.11.2012 को राज्य सरकार के साथ बहिर्गमन सम्मेलन (एग्जिट कान्फ्रेंस) किया गया। राज्य सरकार द्धारा समर्पित जवाब पर विचार किया गया तथा सही जगह पर प्रतिवेदन में इसे सम्मलित किया गया।